

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क०-625 / 13
संस्थापित दि० 30 / 12 / 2013
फाईलिंग नं. 233504000282013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

गोविन उर्फ गोविन्द पिता चिरोंजी उर्फ लंगडू,
 उम्र 23 वर्ष, जाति कोरकू, नि०ग्राम खोखरा,
 थाना रानीपुर, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-22 / 02 / 2017 को घोषित)

01— अभियुक्त के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-452, 354 के अंतर्गत अभियोग है कि आपने दिनांक 19/12/13 को दोपहर 02:00 बजे ग्राम बघवाड़, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत प्रार्थी सरिता पंद्राम के घर फरियादी सरिता पंद्राम को उपहति हमला या सदोष अवरोध कारित करने के पश्चात् गृह अतिचार कारित किया। आपने फरियादी सरिता पंद्राम जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

02— दिनांक 20/02/17 को फरियादी सरिता पंद्राम के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा किया जिससे अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा 506 (भाग-2) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी थाना प्रभारी आमला को बुरी नियत से छेड़छाड़ कर हाथ पकड़ने बाबत आवेदन पत्र पेश कर व्यक्त किया कि दिनांक 19/12/13 को उसकी माँ बसन्ती काम करने खंडारा उसके पिता झुन्ना खेत गये थे। उसका भाई संजू स्कूल गया था। वह घर में अकेली थी कि करीबन 2 बजे

दोपहर में उसके घर के अंदर गोविन्द कोरकू ग्राम खोखरा जो रमझु के घर मेहमान आया था घुस गया और उसको शादी करने को कहा, जो उसने शादी करने से मना कर दिया तो गोविन्द ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बोला शादी नहीं करेगी तो जान से खतम कर देगा, तो उसने जोर से चिल्लाया इतने में उसका पिता झुन्ना आ गया, तो गोविन्द वहां से भाग गया, फिर उसने घटना की बात उसके पिता तथा माँ के काम से घर आने पर उसे भी यह बता बतायी।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 है। जिसके आधार अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 491/13 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 452, 354, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी का लिखित आवेदन प्र०पी० 1 है। दिनांक 20/12/17 को घटना का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 6 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1— “आपने दिनांक 11/04/16 को समय 4:00 बजे के करीबन या उसके लगभग फरियादिया प्रियंकाबाई बोरी गांव के पास छावल रोड पर, थाना आमला, जिला बैतूल म.प्र. में फरियादी जो कि स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसे बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया?”

2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादीया प्रियंकाबाई को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

:- निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

:- विचारणीय प्रश्न कं. 01, 02 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी श्रीमति सरिता (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसकी माँ बसंती काम करने खंडारा उसके पिता छुन्ना खेत गये थे। उसका भाई संजू स्कूल गया था, वह घर में अकेली थी। करीब दो बजे दोपहर में वह उसके घर पर काम कर रही थी, तभी आरोपी गोविंद उर्फ गोविन आया और पानी पीने के लिए पानी मांगा था, उसने उसे घर के बाहर ही पानी पीने को दिया और वह चला गया था।

08— आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में यह अस्वीकार किया है कि उसके लिखित आवेदन प्र0पी0 1 में यह लिखाई थी उसके घर के अंदर गोविन्द ग्राम खोखरा जो रमझू के घर मेहमानी आया था घुस गया और उसको शादी करने को कह रहा था जो उसने शादी करने से मना कर दिया तो गोविन्द ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बोला कि शादी नहीं करोगी तो जान से खतम कर देगा। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 2 की रिपोर्ट में अ से अ भाग, उसके घर के अंदर गोविन्द कोरकू ग्राम खोखरा जो रमझू के घर मेहमानी आया था घुस गया और उसको शादी करने को कह रहा था जो उसने शादी करने से मना कर दिया तो गोविन्द ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बोला कि शादी नहीं करोगी तो जान से खतम कर दूंगा, लिखाया था।

09— आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 3 की पुलिस रिपोर्ट में बताया था कि उसके घर अंदर घुस गया उससे बोला शादी करोगी तो उसने शादी करने से मना कर दिया तो गोविन्द बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और जमीन पर पटक दिया और उसने सीने पर हाथ लगाया और बोला शादी नहीं करोगी तो जान से खतम कर दूंगा तो उसने जोर से चिल्लाया इतने में उसका पिता छुन्ना पंद्राम खेत से आया गया तो गोविन्द उसे छोड़कर भाग गया, फिर उसने घटना की बात उसके पिता छुन्ना पंद्राम को तथा मां बसंती को काम से घर आने पर शाम को बताया। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है।

10— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त उसके घर के अंदर घुसकर उसके साथ किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं की थी। यह गवाह स्वयं फरियादी है। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में

अभियुक्त के द्वारा उपहति हमला या सदोष अवरोध कारित करने के पश्चात् गृह अतिचार कारित किया और अभियुक्त ने फरियादी जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया हो, का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भा०द०वि० की धारा 452, 354 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— अभियोजन साक्षी झुन्ना (अ.सा.2) एवं अभियोजन साक्षी बंसतीबाई (अ.सा.3) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने उपहति हमला या सदोष अवरोध कारित करने के पश्चात् गृह अतिचार कारित किया। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 व 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

13— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने उपहति हमला या सदोष अवरोध कारित करने के पश्चात् गृह अतिचार कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी जो कि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार अभियुक्त गोविन्द उर्फ गोविन को भा०द०वि० की धारा-452, 354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

15— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०